कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तैनाती संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री विनोद कुमार	लैब टैक्नीशियन।	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।	सामु0स्वा0के0देघाट, अल्मोड़ा।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12344 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 [illegible]टियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेखा०सं०संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री महावीर सिंह	लैब टैक्नीशियन।	एच0एम0जी0जिला चिकित्सालय हरिद्वार।	सामु0स्वा0के0अगस्त्यमुनी,रूद्रप्रयाग।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12346 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/ रूद्रप्रयाग।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, एच0एम0जी0जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/ रूद्रप्रयाग।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब०टैक०संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री देवेश सिंह कार्की	लैब टैक्नीशियन।	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।	संयुक्त चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोड़ा।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12342 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल/संयुक्त चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोड़ा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी0 संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री अक्षय लाल	लैब टैक्नीशियन।	संयुक्त चिकित्सालय रूड़की,हरिद्वार।	सामु0स्वा0के0 कर्णप्रयाग, चमोली।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12338 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेब० टेब०संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री इन्तखाब आलम	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0विकासनगर, देहरादूनं	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12340 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित ~~तैनाती~~ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री कृष्ण मोहन पाण्डे	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0 जसपुर, ऊधमसिंहनगर।	सामु0स्वा0के0 सुयालबाड़ी नैनीताल।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12336 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–२५ जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री विनोद कुमार शुक्ला	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0भीमताल, नैनीताल।	सामु0स्वा0के0बैजनाथ बागेश्वर।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12332 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री संजय चंसौरिया	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0कर्णप्रयाग, चमोली।	संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12348 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेब टेक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री नरेन्द्र भट्ट	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0छाम, टिहरी, गढ़वाल।	दून चिकित्सालय देहरादून।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12350 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/ देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, दून चिकित्सालय देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/ देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री भरत सिंह	लैब टैक्नीशियन।	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।	सामु0स्वा0के0 जोशीमठ, चमोली।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12352 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब० टैक० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री ललित मोहन बिष्ट	लैब टैक्नीशियन।	प्राथ0स्वा0के0नारायणबगड़, चमोली।	सामु0स्वा0के0मसूरी, देहरादून।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12354 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी0 संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्रीमती ललिता बिष्ट	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0कर्णप्रयाग चमोली।	सामु0स्वा0के0विकासनगर, देहरादून।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12358 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री विनोद कुमार पाण्डे	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0घाट, चमोली।	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 / 12356 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब० टैक्नी० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री सन्तोष देवराड़ी	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0थराली,चमोली।	प्रा0स्वा0के0नारायणबगड़, चमोली।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12360 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेब-टेक. संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्रीमती रीता गोस्वामी	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0बैजनाथ, बागेश्वर।	प्रा0स्वा0के0बिन्दुखत्ता, नैनीताल।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 / 12362 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री भुवन चन्द्र तिवारी	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0सुयालबाड़ी, नैनीताल।	बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।	जनहित।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12364 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब०टेक० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री नरेन्द्र सिंह भाकुनी	लैब टैक्नीशियन।	गो0ति0रा0बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।	प्राथमिक स्वा0के0हवालबाग, अल्मोड़ा।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12366 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 मौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेबटैक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री नन्द किशोर सकलानी	लैब टैक्नीशियन।	सामु0स्वा0के0भिक्यासैण अल्मोड़ा।	सामु0स्वा0के0चौखुटिया, अल्मोड़ा।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12368 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा / लैब टैक्नी0 / 5 / 2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लेब०टे० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्रीमती पुष्पा बिष्ट	लैब टैक्नीशियन।	सहायक निदेशक(मलेरिया) कुमाऊ मण्डल, रूद्रपुर।	जिला चिकित्सालय बागेश्वर।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा / लैब टैक्नी0 / 5 / 2019 / 12378 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिहनगर / बागेश्वर।
4– सहायक निदेशक (मलेरिया) कुमाऊ मण्डल, रूद्रपुर।
5– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
6– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिहनगर / बागेश्वर।
7– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
8– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक–24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टेक० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री जितेन्द्र सिंह	लैब टैक्नीशियन।	जिला चिकित्सालय बागेश्वर।	ब्लड बैक जिला चिकित्सालय रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12372 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय बागेश्वर/ ब्लड बैक जिला चिकित्सालय रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब. टैक्० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	बिरोजनी भण्डारी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0मसूरी देहरादून।	कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 / 12374 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टेक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	लीला रावत	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0जयहरीखाल, पौड़ी।	दून चिकित्सालय देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12376 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, दून चिकित्सालय देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नी० संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री अमित कुमार	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0पाबौ, पौड़ी	दून चिकित्सालय देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा/लैब टैक्नी0/5/2019/12378 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, दून चिकित्सालय देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा / ई0सी0जी0 / 10 / 2019 देहरादूनः दिनांक– 24 जून, 2019

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित ई0सी0जी0 संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री रोहित कुमार।	ई0सी0जी0टैक्नीशियन।	एल0डी0भट्ट चिकित्सालय काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	दून चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध।

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा / ई0सी0जी0 / 10 / 2019 / 12380 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर / देहरादून।
4– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, एल0डी0भट्ट चिकित्सालय काशीपुर, ऊधमसिंहनगर / दून चिकित्सालय देहरादून।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)